कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार

क्रमांक/3765 /रीडर-भू-अर्जन/2019 बड़वानी दिनांक 5-7-2019

कलेक्टर रा. प्र. क्र. 08/ अ 82/2019-20

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अजंदी तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में 2.632 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है अर्थाथ 6.50 एकड़ सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है)-अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नही।

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है - निरंक।

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टेयर माप के एक भू-खण्ड अर्थात निरंक मानक माप के भू-खण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम ब्राम्हणगांव तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स. क्र.	खसरा नंबर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितवध व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	99/1/1	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.220	सखाराम मयाराम दयाराम सीताराम पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम भू-स्वामी
2	100/1 101/1/2/क/1	भू-स्वामी	निजी भूमि	2.412	लच्छीराम पिता शोभाराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम भू-स्वमी
योग				2.632	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1) के उपबन्धो के आधीन जारी की गई है। भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 ठीकरी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारिवृद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के आधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 क के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांष प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नही होंगे।

(अमित तोमर)
कलेक्टर
जिला – बड़वानी म.प्र.
एवं समुचित सरकार